न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 13/2021 **दायर तारीख :–** 29-01-2021

1. सुरमा पुत्री रेवडराम पत्नि प्रकाशचन्द जाति रैगर निवासी भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासी अजबपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर।

— वादिया

बनाम

1. सुमित्रा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी भैंरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री चिरंजी लाल रैगर, अधिवक्ता वादिया
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 29.07.2021

1. वादिया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भैरूपुरा के खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर 267/0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि में वादिया का हिस्सा 1/7 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 6/7 दर्ज रिकॉर्ड है। वादिया को उक्त वर्णित भूमि अपने पिता की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है, प्रार्थीया तभी से अपने हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है एंव वर्तमान में भी भूमि पर शामिल में हाल आबाद रहकर काबिज काश्त है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सुविधा अनुसार सरस–नरस के हिसाब से आपसी सहमति से मौके पर मुताबिक रिकॉर्ड हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर लिया है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक कोई विधिक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन में अब बदनियती उत्पन्न हो गई है इसलिए वह अच्छी–अच्छी एवं उपजाऊ भूमि पर अकेले ही काबिज होकर दीगर भूमि माफियों लोगों को अच्छी व उपजाउ भूमि उंचे दामों में बेचान करना चाहता है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अच्छी व उपजाउ भूमि पर काबिज हो जायेगा एवं अपने हिस्से की भूमि को भू माफिया लोगों को बेचान कर अच्छी व उपजाउ भूमि पर कब्जा करवा देगा तो वादिया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि में किया जाना संभव नहीं होगा। आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे शामिल काश्त

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

करना संभव नहीं है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम भैरूपुरा के खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर 267/0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर का विधिक बंटवरा बाई मिट्स, नरस सरस एवं रेवेन्यु बोर्ड के नियमों के अनुसार किया जाकर वादिया के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार वादिया को पृथक से रिकॉर्ड खातेदार घोषित किया जावें, वादिया के नाम से पृथक से पर्चा बनाया जावें एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे, जिसका अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें तदनुसार नक्शें में तरमीम किया जावें। साथ प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उनके एजेन्ट, नौकर, उत्तराधिकारी, वारिसान, विधिक प्रतिनिधि एवं स्थापन्न आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 को सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भैरूपुरा खाता संख्या 149 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति वादिया आधार कार्ड आदि पेश किए गये।
4. पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 07.04.2021 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भैरूपुरा के खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर 267/0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि में वादिया का हिस्सा 1/7 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 6/7 दर्ज रिकॉर्ड है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादिया के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में बनाया गया है। उक्त खसरा नंबरों में दोनों पक्षों को रास्ते की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों की भूमि हेतू मौके पर पहूंच रासता गौजूद है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादिया ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादिया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादिया का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सुरमा पुत्री रेवडराम जाति रैगर सा. देह खातेदार	267/1/0.0385 हैक्टेयर
2	सुमित्रा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति रैगर सा. देह खातेदार	267/0.2315 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (कोटपूतली)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. सुरमा पुत्री रेवडराम पत्नि प्रकाशचन्द जाति रैगर निवासी भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासी अजबपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर।

— वादिया

बनाम

1. सुमित्रा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी भैंरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 13/2021 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादिया** व हाजरी ..... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम भैरूपुरा के खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर 267/0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकवा 0.27 हैक्टेयर का विधिक बंटवरा बाई मिट्स, नरस सरस एवं रेवेन्यु बोर्ड के नियमों के अनुसार किया जाकर वादिया के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार वादिया को पृथक से रिकॉर्ड खातेदार घोषित किया जावें, वादिया के नाम से पृथक से पर्चा बनाया जावें एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे, जिसका अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें तदनुसार नक्शें में तरमींम किया जावें। साथ प्रतिवादी संख्या 1, स्वयं उनके एजेन्ट, नौकर, उत्तराधिकारी, वारिसान, विधिक प्रतिनिधि एवं स्थापन्न आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया को बंटवारे में प्राप्त उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग करने देवे, किसी तरह की बेजादखल या मजामहत कारित नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सुरमा पुत्री रेवडराम जाति रैगर सा. देह खातेदार	267/1/0.0385 हैक्टेयर
2	सुमित्रा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति रैगर सा. देह खातेदार	267/0.2315 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29.07.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर